

पत्रावली सं०...152/19...सरकार बनाम निर्मला देवी vs. राहुब राम

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	यह क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
19-9-19	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>निर्मला देवी</u></p> <p>पुत्र श्री <u>राहुब राम</u> जाति <u>वार</u></p> <p>निवासी <u>ठाकरी</u> में फसल <u>रबी/खरीफ</u></p> <p>सम्यत्/सन् <u>2076</u> में गांव/घक नं० <u>20N.P</u></p> <p>के मु० नं० <u>18</u> में <u>बीघा</u></p> <p>सिंचित व <u>असिंचित कुल 3.018</u></p> <p>बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामल तर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बैदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>50</u></p> <p>गुणा पेनल्टी राशि रु० <u>1207</u> अथवा रु० <u>रु. 1207</u> के <u>सो धम</u></p> <p>अधिरोपित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बैदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

तहसीलदार (राजस्थान)  
राधसिंहनगर

